

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अवल संपत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर्व) नाम तथा उस सेना का नाम, जिसमें वह हो डॉ. रमा शी गुप्ता 2. वर्तमान पद वीरिण वैज्ञानिक
 3. वर्तमान वेतन 33,500/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 31 मार्च 2016

उत्पत्ति, उप संभाग, तालुक तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका आयकीय कर्मचारी में क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधन, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	संपत्ति से वर्षिक आय	अधिकृत
	प्लॉट तथा अन्य पता	पूजा					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1) गांधी (म) दोपहरा - 1511	30x40, Dou दोपहरा 22/10/55 17/10/55 11/11/55 1-11/50	मालिक 14/58 11/10		स्वयं के नाम	(मा 2 21/12) 1511 11/10/55 17/10/55 11/11/55 (30x40 = 1200 sq ft) 55 किगा	(स्वयं निर्वाह) (35/10)	20 मा 22/10/55 11/11/55
(2) गांधी (म) दोपहरा (म) - 1511		काला (म) 10/10/55 22/10/55 30x50 = 1500 sq ft 5/11/55		स्वयं के नाम	दोपहरा (म) 11/10/55 17/10/55 11/11/55 95,568 मालिक 15/11/55	(स्वयं निर्वाह)	यत्ना 11/11/55

* बहा लागू न हो कारट दोजिया।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही सहो विधायन करना संभव न हो, बहा वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अन्वयण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक स्तर से वह अधेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार मतीने की अर्पण के परभाव यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधन पर उसके द्वारा धारित अवल संपत्ति के बारे में।

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्री अशोक कुमार, मध्य प्रदेश के जी. पी. एस. 2 वर्तमान धारित पद3. वर्तमान वेतन ₹ 1,07,700/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 04/01/2010

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंध, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	संपत्ति से वार्षिक आय	अधि
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जिला विशाखा नगर, भाग नविलास, पिला भोपाल		91-2905 25x40-1000 वर्गफिट	₹ 2,50,000/-	स्वयं एवं पत्नी श्री अशोक कुमार के नाम से धारित	2007 17/04/2009 श्री. विनोद शर्मा कलकत्ता, विहार आवासीय गृह के तौर पर स्वीकृत, विवाह		

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

अधिकारी श्री अशोक कुमारजिला विशाखा नगरपद निर्वाह अधिकारी

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०१०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो स्टा. राजेश शर्मा

2. वर्तमान धारित पद सहायक वैयाकरण

3. वर्तमान वेतन 37290/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 05/11/2010

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
डी-21, शर्मा (शासन) एवम् कोलार रोड, ग्राम - कामरुवा, तहसी - कुल्लु (जिला - भागीपल)	मालान		25 लाख	स्वयं खरीद	स्वयं खरीद करीब 25 लाख का 2005 में गृह निर्माण से।		
म.जी. - 9, फ्लॉर 2, ग्राम - खजारी, तहसी - कुल्लु (जिला - भागीपल)	मालान		30 लाख	स्वयं	स्वयं खरीद करीब 30 लाख का 2005 में गृह निर्माण से।	रु. 60,000/-	

जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्यामित्य को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर [Signature]
 नाम स्टा. राजेश शर्मा
 पद सहायक वैयाकरण

विधवा निधि का निम्न प्रकार का प्रारम्भिक आकलन, वर्ष 1959

1. परिवारों की संख्या 10450 (यह एक ही परिवार को एक ही गिना गया है) 2. परिवारों की संख्या 10450

3. संख्या 10450 (यह एक ही परिवार को एक ही गिना गया है)

उत्पत्ति, उम्र, लिंग, पेशा यदि नाम का नाम, विधवा निधि में स्थित हो	उत्पत्ति का नाम व पता		*जीवन कृषि	यदि नाम के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धरित है और उसका आसकीय सम्बन्धों से क्या संबंध है	किस प्रकार जन्म हुआ * * * * * पेट या अन्य किसी प्रकार का हवा अथवा की लगेत और जिससे जन्म हुआ है उसका नाम क्या था	निधि में वर्षिक अथ	संख्या
	पूरा नाम अथ पता	पुन					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम पण पोष सकौटा	ग्रह	6 बीघा	3000000 निज भाग्य	1 पिताजी 2 पिताजी	पेशाक	30000	--
उपसभागा लाहौरा विह जिला-1935 (सब 50)						तीस हजार	

- * नया नाम न हो कर ले लिया।
- ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का स्थान-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ बतयान स्थिति के सन्दर्भ में तथ्यात्मक मूल्य बतलाया जाए।
- *** इसमें प्रत्येक व्यक्ति के नाम से सम्बन्धित है।

टिप्पणी: मन्दायतों का प्रारम्भिक आकलन (आचारण) विधवा निधि, 1959 के नियम 28(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा है कि वह सेवा में रहते निवृत्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक वर्ष महीने की अवधि के परचाय या प्रोविडेंट फंड पर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वधर्म की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विच्छेद में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर धरित या बंधक पर उसके द्वारा धरित या प्राप्त अथवा सम्पत्ति के अधीन हैं।

उत्पत्ति - 1959

संख्या

10450
पिताजी का माता पाठ
जिला-1935

14/5/2010

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो 51 डीनिल 292 2. वर्तमान धारित पद वारे वही नाम के स
3. वर्तमान वेतन 15600-39100-600 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 31/03/2010

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
मोपान उज्जैन पालिका कोतार	मकान		12 लाख	पत्नी के नाम	29203 को बताना यह पट्टा (गोदावरी नदी के तट पर) कोतार, मोपान	कोई नहीं	

- * जहां लागू न हो काट दी जाए।
- ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम 51 डीनिल 292

पद वारे वही नाम के स

11/5/10

पराज्य

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो 2. वर्तमान धारित पद
 3. वर्तमान वेतन अगली वेतनवृद्धि की तारीख

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जायपाल	गृह	-	10 लाख	पति के नाम पर	खरीद के द्वारा 10/11/2004	-	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 38(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो २१/६/१९७९ 2. वर्तमान धारित पद १०/१/७९
3. वर्तमान वेतन ११,३०५/०० अगली वेतनवृद्धि की तारीख १५/७/२०१०

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
मिर्जापुर	है		६-५६०००		२००५, २०१२ से १९/०१/९१ मिले २०१० में १५००० मिले जिसमें ६ वर्ष अक्षय १५/०१/१२ तक १५००० ६५१		

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अत्यकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, १९५९ के नियम १८(३) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

फार्म

***प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०**

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अशोक शंकर मिश्रा वर्तमान धारित पद डीडीओ

3. वर्तमान वेतन २५२ अगली वेतनवृद्धि की तारीख

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरा		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<p>श्रीम. शंकर मिश्रा</p> <p>डीडीओ इ.ए. गोंदा</p> <p>डीडीओ गोंदा</p> <p>डीडीओ गोंदा</p> <p>डीडीओ गोंदा</p> <p>डीडीओ गोंदा</p> <p>डीडीओ गोंदा</p>	<p>डीडीओ गोंदा</p> <p>डीडीओ गोंदा</p> <p>डीडीओ गोंदा</p> <p>304 92</p> <p>गोंदा</p>	<p>5 एकड़</p> <p>200 मी</p> <p>गोंदा 2</p> <p>गोंदा</p> <p>गोंदा</p>	<p>36 लाख</p> <p>गोंदा 2</p> <p>लाख</p> <p>गोंदा</p>	<p>गोंदा गोंदा</p> <p>गोंदा</p> <p>गोंदा</p> <p>गोंदा गोंदा</p>	<p>डीडीओ गोंदा</p> <p>डीडीओ गोंदा</p> <p>डीडीओ गोंदा</p> <p>डीडीओ गोंदा</p>	<p>2000000</p> <p>डीडीओ गोंदा</p> <p>गोंदा</p>	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन परदे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाभाविक को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर परदे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर अशोक शंकर मिश्रा

नाम अशोक शंकर मिश्रा

पद डीडीओ

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो राजेश कुमार भूषण 2. वर्तमान धारित पद अधीनस्थ
3. वर्तमान वेतन ₹ 10,000 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1/1/2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

प्रारंभ

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २००८

आवेदक को अर्जित की गई (पूरा) अथवा एक भाग में या बाद में मिले गए हैं - चन्द्रमान सिंह ठरले पद: कृषि अधिकारी
 आवेदन क्रमांक: 5099-3/10 आगले बेलतारी की तारीख: 1 जुलाई 2010

आवेदक का नाम, पता, पद, आय का वर्ग, आवास स्थिति (संकेत)	सम्पत्ति का प्रकार/व्यक्ति		**अर्जित पुराना	जब समय के तब पर न हो तो आलापर्यंत कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका आवासीय उपयोग से क्या संबंध है	किस किस प्रकार अधिभूत किया गया **खरीद, बंधक, विरासत, श्रेय या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिन को तारीख और जिसमें अधिभूत की गई हो उसका पता तथा व्यक्ति	संपत्ति से व्यक्तित्व प्राप्त	अभिप्रेत
	पूरा तथा अन्य भूखंड	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

1. आवेदक को ध्यान देना है कि -
 2. यदि आवेदक ने आवेदन पत्र में संपत्ति का विवरण देना आवश्यक समझे कि आवेदन पत्र में संपत्ति का विवरण देना आवश्यक है।
 3. आवेदक को ध्यान देना है कि आवेदन पत्र में संपत्ति का विवरण देना आवश्यक है।
 4. आवेदक को ध्यान देना है कि आवेदन पत्र में संपत्ति का विवरण देना आवश्यक है।

आवेदक: चन्द्रमान सिंह ठरले
 पता: कृषि अधिकारी
 तारीख: 1 जुलाई 2010